पत्र संख्या : 7वि.शा./मु. राँची–05–15/2019 1224

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, राँची।

राँची, दिनांक : 27/11/2020

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान जल संसाधन विभाग अंतर्गत गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची को जल संसाधन विभाग के औधोगिक जलावंटन प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन सॉफ्टवेयर एपलिकेशन के AMC का कार्य हेतु **रू. 2.49 लाख (दो लाख उन्चास हजार मात्र)** रूपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :– प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या–08/19–20, दिनांकः 01.07.19 (Online AA-850/07.07.2019) एवं 23/19–20, दिनांक 16.08.2019

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2020–21** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत निम्न वर्णित लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन निम्नांकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	मुख्य अभियंता	कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	49–जल संसाधन विभाग/ 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80–सामान्य	003–प्रशिक्षण /69–प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार	03–प्रशासनिक व्यय, 21 प्रचार/ प्रसार/ सेमिनार, विपत्र कोड–49S470180003690321	राँची	गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची (DRNMID007)

Access no	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2020 तक व्यय	पूर्व का आवंटन (लाख ₹ में)	वर्त्तमान आवंटन (लाख ₹ में)	कुल आवंटित राशि (लाख ₹ में)
7	8	9	10	11	12	13
59220	विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2019–20 में आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने एवं विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाने तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिये।	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**2.49**	**2.49**
	योग	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**2.49**	**2.49**

आवंटित राशि – ₹ दो लाख उन्चास हजार मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष **2020–21** के बजट उपबंध **रू. 20.00 लाख (बीस लाख)** मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक–2018, दिनांक–04.11.2020 के आलोक में विभाग के राज्य योजना के लिये कुल बजटीय उपबंध की राशि के 50% के अन्तर्गत है।

4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1363 दि. 09.05.2016 के आलोक में होगा।

5. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा! उप निदेशक भुगतान के पूर्व कार्य की पूर्णता, गुणवत्ता एवं विशिष्टि से संतुष्ट हो लेंगे।

6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

10. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2021 के पूर्व तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : **आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसका Access No. उपर्युक्त कंडिका–1 के स्तंभ–7 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।**

27/11/20

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 124 राँची, दिनांक :– 27/11/2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/मेदिनीनगर** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/11/20

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 124 राँची, दिनांक :– 27/11/2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) राँची/अभियंता प्रमुख –**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद)	(अशोक कुमार दास)	**(प्रशांत कुमार)**
उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	**सचिव**